अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

- उपस्थिति :-

1. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
3. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
5. श्री रवीन्द्र नाथ, प्रभारी पदाधिकारी,बन्दोबस्त, मुंगेर।
6. अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
7. नजीर अहमद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
8. श्री प्रमोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
9. श्री कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
10. श्री नवीन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
11. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, मुंगेर।
12. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
13. श्री अनिल कुमार राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
14. श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
15. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।

1. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
2. श्री कुन्दन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, MDM, मुंगेर।

16. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर
17. श्री कुमार प्रेमनाथ , जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. श्री अजय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, मुंगेर।
19. श्री आर0पी0 भारती, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर।
20. श्री नवल किशोर शरण, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर।
21. मु0 खिलाफत अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
22. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
23. श्री प्रशांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर।
24. श्री शंकर प्रसाद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर।
25. श्रीमती किरण देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
26. श्री नीरज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज।
27. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर।
28. प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर।

- **अवकाश/अन्य विशेष कार्य अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पदाधिकारी :-**

29. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर।
30. श्री बी0बी0 तिवारी, जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर।
31. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
32. श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर।
33. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।

RTPS :-

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत विभाग द्वारा समीक्षा हेतु तैयार किए जाने वाले सभी पैरामीटर में मुंगेर जिला के कम अंक होने पर खेद प्रकट करते हुए अवगत कराया गया कि RTPS संबंधी सभी प्रकार के प्रतिवेदनों के अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 14.08.2014 तक निर्धारित की गई है। इस हेतु संबधित पदाधिकारियों को RTPS कार्य को प्राथमिक कार्य योजना में शामिल करने का निदेश देते हुए कार्य में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए :-

1. सभी प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी (Mentor) उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्रानुसार RTPS काउण्टर का साप्ताहिक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निरीक्षण दिवस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग के पोर्टल पर उसे यथासमय अपलोड कराया जा सके।

2. पूर्व सम्पन्न विकास की मासिक समीक्षा बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को RTPS काउण्टर से दी जाने वाली सेवाओं की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु बैठक अवधि में यह ज्ञात होना कि उक्त प्रदत्त निदेश का अनुपालन संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, अत्यन्त ही खेदजनक एवं कर्त्तव्य के प्रति अरूचि को प्रदर्शित करता है। अतएव पुनः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ RTPS काउण्टर की जाँच एक सप्ताह के अन्दर करते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साप्ताहिक रूप से RTPS काउण्टर से आवेदकों को दी जाने वाली सेवाओं की जाँच कर निष्पादन में तेजी लाने हेतु समुचित कार्रवाईयाँ भी सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला स्तरीय सभी RTPS काउण्टरों के निरीक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी, RTPS अपने स्तर से संबंधित विभागीय पदाधिकारी को विहित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार करेंगे।
4. वरीय पदाधिकारी (Mentor) लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवा अवधि के पार Expire/Reject किए गए आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच अवश्य करेंगे।
5. समीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि किसी-किसी प्रखंड/अंचल में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण अधिकांश कार्य दिवसों में data synchronize करना संभव नहीं हो पाता है, जिसकी समुचित व्यवस्था किया जाना अत्यावश्यक है। इस निमित्त आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अपने पर्यवेक्षण में प्रत्येक संध्या नेटवर्क नहीं रहने की वजह से data synchronization में हो रही परेशानी के लिए संबंधित प्रखंड सूचना प्रावैधिकी से सम्पर्क कर अपने कार्यालय में ही data synchronize कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक संध्या अधोहस्ताक्षरी को इससे अवगत कराना भी सुनिश्चित करेंगे। data synchronization की पूर्ण जवाबदेही आई०टी० प्रबंधक, मुंगेर को निहित की जाती है।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सप्ताह में सदर प्रखंड के RTPS काउण्टर का किए गए औचक निरीक्षण के समय समाज कल्याण के अत्यधिक संख्या में आवेदन लंबित रहने के फलस्वरूप निरीक्षण टिप्पणी में वरीय पदाधिकारी (Mentor) को इसकी सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया था, परन्तु बैठक अवधि में समर्पित प्रतिवेदनानुसार समाज कल्याण अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की समान स्थिति अर्थात् अभी भी आवेदनों की अधिक संख्या में लंबित रहने के निमित्त पुनः वरीय पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि माहवार प्रतिवेदन के आधार पर इतनी अधिक संख्या में लंबित आवेदनों के निष्पादन नहीं किए जाने के दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संबंधित अपीलीय प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित किया जाए।
7. प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

<u>विधि शाखा :-</u>

विभिन्न विभागों के साप्ताहिक कार्यो की समीक्षा के पूर्व विधि शाखा में लंबित CWJC/MJC/LPA की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिए गए :-

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के स्तर से लंबित 33 CWJC वादों के संबंध में बताया गया कि 06 वादों में तथ्य विवरणी दाखिल किया गया है तथा कुछ वाद traceless होने की स्थिति में कार्यालय कर्मी को प्राधिकृत कर महाधिवक्ता कार्यालय भेजा गया है। साथ ही लंबित 07 MJC वादों के अद्यतन स्थिति की पृच्छा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, मुंगेर ने बताया कि 02 वाद में तथ्य विवरणी तैयार किया गया है तथा श्री दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद से संबंधित अभिलेख कार्यालय में नहीं मिल पाने की वजह से कारणपृच्छा दाखिल करने में परेशानी हो रही है। उक्त वाद की विस्तृत परिचर्चा के उपरान्त यह संज्ञान में आया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को उक्त वाद से संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित कर विभाग को भेजना था, जो अबतक नहीं भेजा गया है। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अबिलम्ब संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित कर

विभाग को भेजते हुए इसी आशय का जिक्र कर कारणपृच्छा न्यायालय के समक्ष दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त LPA के लंबित 03 वाद अभी भी traceless है जिसके कारण उक्त वादों में किसी प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर द्वारा लंबित वादों के पृच्छित अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबंध में सिविल सर्जन, मुंगेर ने बताया कि CWJC के 23 वाद, MJC के 06 वाद, LPA के 03 वादों का अद्यतन प्रतिवेदन आगामी सप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा CWJC के लंबित 05 वादों की अद्यतन स्थिति के संबंध में बताया गया कि 03 वाद में तथ्य विवरणी तैयार की जा चुकी है। इसकी तुलना में प्रभारी पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा कुल 11 CWJC के लंबित होने की जानकारी दी गई। इस संदर्भ में भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष 06 वाद संभवतः अन्य जिलों के हो सकते है। निदेश दिया गया कि जिला विधि शाखा, मुंगेर से लंबित CWJC/MJC/LPA वादों की सूची प्राप्त कर उसके अद्यतन की जानकारी संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे।

बैठक अवधि में उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा खेद प्रकट करते हुए बताया गया कि कई वादों में पक्षकार नहीं होने के बावजूद विधि शाखा, मुंगेर द्वारा वाद पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु भेज दिया जाता है, जिससे लंबित वादों की सूची में बेवजह बढ़ोतरी हो जाती है। इसी दरम्यान अन्य संबंधित विभगीय पदाधिकारियों द्वारा भी अवगत कराया गया कि लंबित CWJC/MJC/LPA वादों की सूची में यदि पक्षकार एक से अधिक पदाधिकारी होते हैं तो उक्त वाद को सभी पदाधिकारियों के स्तर से लंबित वादों की सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, जिसके कारण एक ही वाद की गणना एक से अधिक बार हो जाती है जिसके फलस्वरूप इतनी अधिक संख्या में वाद लंबित है। इस निमित्त प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सूचीबद्ध लंबित सभी वादों की सूक्ष्मतापूर्वक जाँच कर ऐसे वादों को किन्हीं एक विभागीय पदाधिकारी के लंबित वादों की सूची में रखा जाए तथा अन्य पदाधिकारियों की सूची से हटाते हुए सूची को अद्यतन किया जाए। साथ ही एक ही वाद में पक्षकार के रूप में एक से अधिक पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर ही वाद पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान यह ज्ञात होना कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वादों की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद विधि शाखा, मुंगेर द्वारा उक्त प्रतिवेदनों के आधार पर लंबित वादों की सूची को अद्यतन नहीं किया जाता है, अत्यन्त ही खेदजनक है। इस प्रकार की स्थिति के कारण बैठक अवधि में प्रतिवेदनों के आधार पर सूची को अद्यतन करने में ही बेवजह अत्यधिक समय बीत जाता है। अतः प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि आगामी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर लंबित वादों की सूची को अद्यतन कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे, ताकि विस्तृत समीक्षा करने में समय का सदुपयोग किया जा सके। **उल्लेखनीय है कि यदि संबंधित कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन से संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना तथा ओथ संख्या एवं दिनांक आदि का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है, तो विधि शाखा अपने डाटाबेस में इसकी प्रविष्टि करते हुए डाटाबेस को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे, न कि संबंधित पदाधिकारी से ओथ एवं प्रतिशपथ पत्र की छायाप्रति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे।**

<u>मुख्य निदेश :-</u>

1. सभी विभागीय पदाधिकारियों को जिला विधि शाखा से उपलब्ध कराए गए लंबित CWJC/MJC/LPA वादों की सूची के अनुसार traceless वादों की अद्यतन स्थिति की जानकारी एकत्रित करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को traceless वादों की सूची उपलब्ध कराएँगे, ताकि प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से महाधिवक्ता, बिहार, पटना को traceless वादों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु पत्राचार कर सके।
2. CWJC/MJC/LPA वादों के लंबित सूची के अनुरूप जिन वादों में ओथ अथवा माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किया जा चुका है, उसका प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मुंगेर को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि लंबित सूची से निष्पादित वादों को हटाते हुए सूची को अद्यतन किया जा सके।

3. MJC वादों को प्राथमिकता देते हुए वाद में निर्णित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।
4. अधोहस्ताक्षरी के Personal Appearance वाले वादों की सूची निश्चित रूप से आगामी सप्ताह के पूर्व उपलब्ध कराया जाए।

जिला जन शिकायत कोषांग :-

जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग तथा जिला जनता दरबार के लंबित आवेदनों की पदाधिकारीवार स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	पदाधिकारी/विभाग का नाम	मुख्यमंत्री सचिवालय			जिला जनता दरबार		
		भेजे गये आवेदन	निष्पादित आवेदन	लंबित	भेजे गये आवेदन	निष्पादित आवेदन	लंबित
1	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर	26	18	8	727	506	221
2	अपर समाहर्त्ता, मुंगेर	67	60	7	189	94	95
3	उप विकास आयुक्त, मुंगेर	24	10	14	485	312	173
4	सिविल सर्जन, मुंगेर	65	45	20	472	228	244
5	जिला स्थापना शाखा	13	12	01	175	97	78
6	जिला विधि शाखा	4	1	3	75	5	70
7	जिला सामान्य शाखा	6	1	5	148	56	92
8	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर	16	6	10	155	63	92
9	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर	10	9	01	225	103	122
10	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर	57	35	22	574	258	316
11	जिला आपदा प्रबंधन, मुंगेर	11	7	4	127	40	84
12	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर	15	8	7	481	224	257
13	जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर	4	2	2	23	4	19
14	उप निर्वाचन पदाधिकारी	2	0	2	44	16	28
15	जिला भू-अर्जन	3	2	1	39	10	29
16	जिला शस्त्र शाखा	2	0	2	69	21	48
17	जिला प्रोग्राम ICDS	5	1	4	517	212	305
18	जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर	8	0	8	59	7	52
19	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर	0	0	0	17	17	0
20	प्रभारी पदा0, MDM	0	0	0	23	7	16
21	महादलित कल्याण पदाधिकारी	2	1	1	3	0	3
22	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी	1	0	1	1	0	1
	कुल	341	218	123	4628	2280	2348

प्रतिवेदनानुसार मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक लंबित आवेदन, क्रमशः जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर के 22, सिविल सर्जन, मुंगेर के 20, उप विकास आयुक्त, मुंगेर के 14, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के 10, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के 08, जिला योजना पदाधिकारी के 08 हैं, जो कुल लंबित 123 आवेदनों का 66.67% है। मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित आवेदनों की इतनी अधिक संख्या में लंबित रहना उचित नहीं है तथा उक्त आवेदनों का निष्पादन यथाशीघ्र किए जाने से निष्पादन की प्रतिशतता में वृद्धि होगी। अतः निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी विशेष अभिरूचि लेकर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराएँ।

यह तथ्य संज्ञान में आना कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, अत्यन्त चिंताजनक है। इस हेतु सभी विभागीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री सचिवालय/जिला जनता दरबार से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच निर्धारित समय के अनुसार निष्पादित करते हुए जिला जनशिकायत पदाधिकारी को अवगत करना सुनिश्चित करेंगे।

मानवाधिकार :-

समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि इस सप्ताह तक मानवाधिकार से संबंधित लंबित 27 के विरूद्ध 06 मामलों में विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है तथा वर्तमान में लंबित 21 मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के स्तर से 03, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के 02, जिला शिक्षा पदाधिकारी के 02, उप विकास आयुक्त के स्तर से 01 आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित है। इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानवाधिकार से संबंधित लंबित आवेदनों को प्राथमिक कार्य योजना में रखते हुए नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

लोकायुक्त :-

लोकायुक्त के लंबित मामलों में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्तर से 01, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के 01, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के 04 आवेदनों का जाँच प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहने के कारण अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। निदेश दिया गया कि लोकायुक्त से संबंधित सभी लंबित आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रखंड/अंचल का निरीक्षण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलान्तर्गत 09 प्रखंड/अंचल में से विगत सप्ताह में मात्र 02 प्रखंड-सह-अंचल, यथा जमालपुर एवं तारापुर के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (Mentor) द्वारा ही निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराई गई, जबकि गत बैठक में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया था कि सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार अपने प्रभार के प्रखंड/अंचल के कार्यो की समीक्षा कर निरीक्षण टिप्पणी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे। यदि निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो फिर किए गए निरीक्षण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। पुनः सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि सप्ताह में अपनी सुविधानुसार कम-से-कम एक दिवस को अपने आवंटित प्रखंड का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी प्रत्येक दशा में सप्ताहान्त के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

साप्ताहिक समीक्षा हेतु विहित प्रपत्रानुसार प्रतिवेदन :-

विभाग/कार्यालय का नाम	पत्रों का निष्पादन		जनशिकायत		वि0सभा0/परि0 प्रश्नावली		मानवाधिकार/ लोकायुक्त		CWJC/MJC/LPA		सेवान्त लाभ	
	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र	कुल प्राप्त पत्र	लंबित पत्र
जिला भू-अर्जन	20	11	24	20	0	0	0	0	0	0	2	2
जिला नीलाम पत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
जिला नजारत	26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला प्रोग्राम	0	0	22	19	10	10	1	0	23	23	0	0
जिला अल्पसंख्यक कल्याण	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बंदोवस्त	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
डी0आर0डी0ए0	55	36	37	36	0	0	1	0	31	23	0	0
जिला योजना	21	10	58	57	0	0	0	0	0	0	0	0
आपदा प्रबंधन	13	4	135	52	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला पंचायत राज	196	176	44	44	0	0	0	0	14	5	0	0
जिला राजस्व	28	4	10	7	0	0	2	2	11	2	0	0
सामाजिक सुरक्षा	33	26	0	0	2	1	0	0	1	1	2	2
जिला विधि	175	135	68	66	0	0	0	0	0	0	0	0
जिला आपूर्त्ति	71	40	25	25	0	0	0	0	5	5	0	0

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कई कार्यालय/शाखा, यथा-जिला सामान्य, शस्त्र, निर्वाचन, स्थापना, खास महाल, कल्याण, बैंकिंग, राज्य खाद्य निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभागीय जाँच आदि से प्राप्त नहीं हुआ है, जो दुःखद है। अतः संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व (यथासंभव शनिवार की संध्या तक) विहित प्रपत्र में

प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा, में उपलब्ध कराया जाए, ताकि संकलित बैठक दिवस को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समीक्षा हेतु उपस्थापित किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक-20-07/14-2032/गो0, मुंगेर, दिनांक 23/07/2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/जिला जनशिकायत पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.14

(अमरेन्द्र प्रसाद सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।